राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(8) वित्त/राजस्व/19 जयपुर, दिनांकः– 11.08.2026

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I से लेखाधिकारी (कनिष्ठ वेतन श्रृखंला) के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2019–20 के लिए दिनांक 24.10.2019 को आयोजित नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में श्री सूरज भान (जन्मतिथि 26.03.1968) की संतान संबंधी सूचना नियमानुसार प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की अनुशंषा की गई थी।

निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा श्री सूरजभान, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर की संतान संबंधी सूचना प्रस्तुत किये जाने पर एवं राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त श्री सूरजभान को चयन वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 01.10.2019 को उपलब्ध रिक्ति की तिथि पर उक्त नियमों के नियम, 28 (ए) के उप नियम 7(सी) के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के कनिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री सूरजभान अपने वर्तमान पद को यथा आवश्यकता अस्थाई तौर पर क्रमोन्नत/क्रमावनत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन जैमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वित्त, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
11. संबंधित अधिकारी।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव